निगरानी-3664/2018/रतलाम/भू.रा.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रंमाक /2018
प्रस्तुत दिनांक 06.2018

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष/सदस्य महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

याचिकाकर्ता/पुनरीक्षणकर्ताः– हीरालाल पिता नाथुलाल तेली, आयु–59 वर्ष ,धधां– कृषि, निवासी– ग्राम शिवगढ़ तहसील सैलाना जिला रतलाम म.प्र.

श्री राजेश बाथम अभि० द्वारा आज दि० 15-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 15-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

वि रू द्व

प्रत्यर्थीगणः–

01– कुलदीप पिता हरिप्रसाद मेहता, आयु– 35 वर्ष, धंधा–कृषि, निवासी–336/अ, वृन्दावन काटजु नगर रतलाम जिला रतलाम (म.प्र.)

02– विजयसिंह पिता गोविन्दसिंह राठोर, आयु– 35 वर्ष करीब, धंधा–कृषि, निवासी– 120 पैलेस रोड़, शिवगढ़ तह. सैलाना जिला रतलाम (म.प्र.)

//पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता//

अधिनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त संभाग उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.), द्वारा द्वितिय अपील प्रकरण क्रंमाक 1093/अपील/2017–18 मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 07.06.2018 एनेक्सर ए–1 के विरूद्ध एवं अपनाई गई दुषित प्रक्रिया एवं अवैधानिकता ओर औचित्य के मामले मे पुनरीक्षण याचिका पेश।

मान्यवर महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्यर्थी के विरूद्ध निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका पेश कर निवेदन है किः–

निरन्तर......02

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3664/2018/रतलाम/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक की निगरानी को ग्राह्य करते हुए यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं। ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि उनके द्वारा उपस्थित होकर तर्क एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा उनके तर्कों को अनदेखा करते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आलोच्य अंतरिम आदेश निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे स्थगन के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बोलता हुआ आदेश पारित करें। उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	